दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 08-07-2025

हाई कोर्ट ने कहा- पीडब्ल्यूडी व निगम बताए कब तक सुधरेंगी जर्जर सड़कें

शपथ पत्र मांगा, मामले की अगली सुनवाई अब 23 जुलाई को

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

सड़कों पर हुए अतिक्रमण व उनकी जर्जर हालत को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। सोमवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए नगर निगम आयुक्त और लोक निर्माण विभाग के ईई को निर्देशित किया कि वे शपथपत्र पर यह स्पष्ट करें कि शहर की सड़कें कब तक सुधार दी जाएंगी। मामले में अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।

बता दें कि चीफ जस्टिस ने अपोलो अस्पताल लिंगियाडीह मार्ग पर खुद दौरा कर वहां की बदहाल स्थिति देखी थी। सड़क की चौड़ाई कम होने और अतिक्रमण के कारण मरीजों और परिजनों को हो रही परेशानियों को देखते हुए मामले को जनहित याचिका के रूप में दर्ज कर सुनवाई शुरू की गई। कोर्ट के निर्देश पर नगर निगम ने बसंत विहार चौक से अपोलो अस्पताल तक अतिक्रमण हटाते हुए सड़क चौड़ी करने का काम शुरू किया। पूर्व सुनवाई में नगर निगम आयुक्त ने कोर्ट को बताया था कि अपोलो चौक से मानसी होटल होते हुए रपटा तक की सड़क चौड़ीकरण के लिए 6 मई को वर्कऑर्डर जारी किया गया है। अब कोर्ट ने पूरे शहर की खराब सड़कों को लेकर सख्त रूख अपनाया और जिम्मेदार अफसरों से जवाब तलब किया है। अदालत ने टिप्पणी की कि शहर की प्रमुख सड़कें गड्ढों से भरी पड़ी हैं और इसकी मरम्मत को लेकर कोई स्पष्ट समयसीमा सामने नहीं आई है। नगर निगम आयुक्त और लोक निर्माण विभाग के ईई शपथ पत्र देकर स्पष्ट करें कि सड़कों की हालत कब सुधर जाएगी।